राजस्थान सरकार

कोरोना
अतिआवश्यक

कार्यालय जिला कलक्टर, एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जोधपुर

क्रमांक : आपदा प्रबंधन/2020/17163 दिनांक 05/12/2020

-: आदेश :-

राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 की धारा 4, आपदा प्रबंधन अधिनियम-5 की धारा 30 व 34 व गृह विभाग राजस्थान के आदेश दिनांक 13.05.2020 व दिनांक 29.11.2020 के अनुक्रम मे **"मिशन जीवन रक्षा : मेरा जीवन मेरी रक्षा"** के अन्तर्गत कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए जोधपुर शहर के नगर निगम क्षेत्र (उत्तर/दक्षिण) में निम्नानुसार वार्ड स्तरीय निगरानी समिति गठित की जाती हैं:-

वार्ड स्तरीय निगरानी समिति:-

1.	स्थानीय पार्षद	-	सदस्य
2.	सफाई निरीक्षक	-	सदस्य
3.	बीट कानिस्टेबल	-	सदस्य
4.	ANM/ स्वास्थ्य कार्यकर्ता	-	सदस्य
5.	आशा सहयोगिनी	-	सदस्य
6.	इन्सीडेन्ट कमाण्डर द्वारा नामित कर्मचारी/जन प्रतिनिधि	-	सदस्य
7.	बूथ लेवल अधिकारी (बी.एलओ.)	-	संयोजक

उक्त वार्ड स्तरीय निगरानी समिति निम्न कार्य करेगी:-

1. वार्ड/मोहल्ले स्तर पर स्थानीय निवासी की समिति गठित कर उसका सुचारू रूप से क्रियाशील होना सुनिश्चित करना।
2. होम क्वारंटाइन व्यवस्था की गहन निगरानी व उल्लंघन करने वालों की सूचना इन्सीडेन्ट कमाण्डर को तत्काल देना।
3. स्थानीय व्यक्तियों/जन प्रतिनिधियों के सहयोग से वार्ड में कोरोना रोकथाम हेतु जागरूकता अभियान संचालित करना।
4. वार्ड में कोरोना संक्रमण रोकथाम हेतु प्रत्येक घर के सर्वे में सर्वेदलों का सहयोग करना।
5. इन्सीडेन्ट कमाण्डर/उपखण्ड स्तरीय समिति के अन्य निर्देशों की पालना करना।
6. वार्ड में कोरोना संक्रमण रोकथाम हेतु सेम्पल हेतु चिन्हित व्यक्तियों को सेम्पलिंग हेतु प्रोत्साहित करना।
7. वार्ड में भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 की रोकथाम हेतु जारी गाईडलाईन/निर्देशों की पालना करने हेतु समझाइश करना तथा इन्सीडेन्ट कमाण्डर, चिकित्सा विभाग, पुलिस प्रशासन व नगर निगम के दलों का सहयोग करना।

सम्बन्धित उपायुक्त नगर निगम जोधपुर उत्तर व दक्षिण उपरोक्तानुसार वार्ड स्तरीय निगरानी समितियों का गठन कर उन्हें तत्काल सक्रिय कर उपरोक्त दायित्वों का निर्वहन करवाना सुनिश्चित करवायेगे।

(इन्द्रजीत सिंह)
जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष
जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण
जोधपुर

क्रमांक : आपदा प्रबंधन / 2020 / 17164-17264 दिनांक 05/12/2020

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. श्रीमान् संभागीय आयुक्त / पुलिस आयुक्त / महानिरीक्षक, पुलिस रेंज, जोधपुर
2. जिला पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण / आसूचना / पुलिस उपायुक्त–पूर्व / पश्चिम / मुख्यालय, जोधपुर
3. आयुक्त / समस्त उपायुक्त नगर निगम जोधपुर (उत्तर / दक्षिण) / जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर।
4. अपर जिला कलक्टर प्रथम / द्वितीय / तृतीय / अपर जिला मजिस्ट्रेट, शहर–प्रथम, जोधपुर / जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, जोधपुर / प्रोटोकॉल अधिकारी, जोधपुर / जिला रसद अधिकारी, शहर, जोधपुर।
5. समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रकरण पदाधिकारी, जिला जोधपुर।
6. समस्त इन्सीडेन्ट कमाण्डर / उपखण्ड अधिकारी / समस्त तहसीलदार / समस्त विकास अधिकारी / समस्त थानाधिकारी जिला जोधपुर।
7. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर / प्राचार्य डॉ.एस.एन.मेडिकल कॉलेज, जोधपुर।
8. प्रभारी अधिकारी चिकित्सा सुविधा सेल / स्क्रीनिंग सेल / सर्विलांस सेल / हाइजीन सेल / कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग सेल / सामाजिक अलगाव सेल / आवश्यक वस्तु आपूर्ति सेल / सतर्कता सेल / प्रशिक्षण सेल / कन्ट्रोल रुम एवं सूचना संग्रहरण सेल / लॉजिस्टक एवं प्रोक्योरमेंट सेल / क्वारंटाईल सेल / यातायात सेल / कार्मिक सेल / समन्वयक सेल।
9. समस्त खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी जिला जोधपुरं।
10. अतिरिक्त निदेशक / उपनिदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, जोधपुर।
11. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी / जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक / प्रारम्भिक, जोधपुर
12. निजी सहायक, गोपनीय शाखा, जिला कलक्टर / अपर जिला कलक्टर–प्रथम, जोधपुर / रक्षित पत्रावली।

सचिव,
जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण
एवं अति.जिला कलक्टर
जोधपुर